उत्तर प्रदेश सरकार

कार्मिक अनुभाग-2

संख्या 20(4)/2002-का-2009, लखनऊ 11 फरवरी 2009

अधिसूचना

प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद-309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल (उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर) समूह "ग" के पदों पर सीधी भर्ती की प्रकिया नियमावली, 2002 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

उत्तर प्रदेश (उत्तर प्रदेश सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर) समूह "ग" के पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया (तृतीय संशोधन) नियमावली 2009

1- (1) यह नियमावली उत्तर पद्रेश (उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर) समूह "ग" के पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया (तृतीय संशोधन) नियमावली 2009 कही जायेगी। — संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2- उत्तर प्रदेश (उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर) समूह "ग" के पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया नियमावली, 2002 में नियम 5 में नीचे स्तम्भ में दिये गये विद्यमान उपनियम (1) के स्थान पर स्तम्भ - 2 में दिया गया उपनियम रख दिया जायेगा अर्थात — नियम-5 का संशोधन

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ -2 एतदद्वारा प्रतिस्थापति नियम
सीधी भर्ती की प्रकिया — 5-(1) सीधी भर्ती करने के लिए रिक्तियां निम्नलिखित रीति से अधिसूचित की जाएगी	सीधी भर्ती की प्रकिया — (1) शारीरिक रूप से विकलांग श्रेणी के व्यक्तियों के लिए आरक्षित पदों से भिन्न पदों पर सीधी भर्ती करने के लिए रिक्तियाँ

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम
(एक) ऐसे दैनिक समाचार पत्रों में जिनका व्यापक परिचालन हो,विज्ञापन जारी करके, (दो) कार्यालय के सूचना पट्ट पर सूचना चिपका कर या रेड़ियो, दूरदर्शन और अन्य रोजगार समाचार पत्र के माध्यम से विज्ञापन करके, और (तीन) रोजगार कार्यालय को रिक्तियाँ अधिसूचित करके।	नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित की जाएंगी और शारीरिक रूप से विकलांग श्रेणी के व्यक्तियों के लिए आरक्षित पदों पर सीधी भर्ती करने के लिए रिक्तियाँ सम्बन्धित विभाग, जिसके लिए भर्ती की जानी है, के विभागाध्यक्ष द्वारा अधिसूचित की जायेगी। रिक्तियाँ निम्नलिखित रीति में अधिसूचित की जाएगी :- (एक) ऐसी दैनिक समाचार पत्रों में, जिनका व्यापक प्रसार हों, विज्ञापन जारी करके (दो) कार्यालय के सूचना पट्ट पर सूचना चिपका कर या रेडियो/दूरदर्शन और अन्य रोजगार समाचार पत्रों के माध्यम से विज्ञापन करके और (तीन) रोजगार कार्यालय को रिक्तियाँ अधिसूचित करके।

नियम-6 का प्रतिस्थापन

3- उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम-6 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा अर्थात

स्तम्भ-1 **विद्यमान नियम**	स्तम्भ-2 **एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम**
चयन समिति का गठन 6-(1) सीधी भर्ती एक चयन समिति के माध्यम से की जायेगी जिसमें निम्नलिखित होंगे :-	6-(1) शारीरिक रूप से विकलांग श्रेणी के व्यक्तियों के लिए आरक्षित पदों से भिन्न पदों पर सीधी भर्ती एक चयन समिति के माध्यम से की जायेगी जिमसें निम्नलिखित होंगे :-
(एक) नियुक्ति प्राधिकारी..........अध्यक्ष	(एक) नियुक्ति प्राधिकारी.................................अध्यक्ष
(दो) अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों का कोई अधिकारी यदि अध्यक्ष अनुसूचित जातियों, या अनुसूचित जातियों का न हो। यदि अध्यक्ष अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों का हो तो अध्यक्ष द्वारा अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गों से भिन्न कोई अधिकारी नाम निर्दिष्ट किया जाएगा..............सदस्य	(दो) अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों का कोई अधिकारी यदि अध्यक्ष अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों का न हो। यदि अध्यक्ष अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों का हो तो अध्यक्ष द्वारा अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गों से भिन्न कोई अधिकारी नाम निर्दिष्ट किया जाएगा........... सदस्य
(तीन) अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट अन्य पिछड़े वर्गों का कोई अधिकारी यदि अध्यक्ष अन्य पिछड़े वर्ग का न हो। यदि अध्यक्ष अन्य पिछड़े वर्गों का हो तो अध्यक्ष द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों से भिन्न कोई अधिकारी नाम निर्दिष्ट किया जायेगा......................सदस्य	(तीन) अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट अन्य पिछड़े वर्गों का कोई अधिकारी, यदि अध्यक्ष अन्य पिछड़े वर्गों का न हो। यदि अध्यक्ष पिछड़े वर्गों का हो तो अध्यक्ष द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों से भिन्न कोई अधिकारी नाम निर्दिष्ट किया जायेगा..सदस्य
(चार) भर्ती किये जाने वाले पद की अपेक्षाओं के अनुसार संबंधित क्षेत्र में पर्याप्त ज्ञान रखने वाले एक अधिकारी को अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाएगा.................सदस्य	(चार) भर्ती किया जाने वाले पद की अपेक्षाओं के अनुसार संबंधित क्षेत्र में पर्याप्त ज्ञान रखने वाले एक अधिकारी को अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाएगा. ....सदस्य

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
(पांच) संबंधित जिले के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट एक अधिकारी।...सदस्य टिप्पणी (1) यदि नियुक्ति प्राधिकारी विभागाध्यक्ष हो तो ऐसी दशा में चयन समिति के सभी सदस्य उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे। वह अपने स्थान पर किसी ऐसे अधिकारी को, जो अन्य सदस्यों से जयेष्ठ न हो चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में नाम निर्दिष्ट कर सकता है। ऐसा विभागाध्यक्ष केवल साक्षात्कार के लिए एक से अधिक चयन समिति गठित कर सकता है।	(पांच) संबंधित जिले के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट एक अधिकारी।.. सदस्य टिप्पणी (1) यदि नियुक्ति प्राधिकारी विभागाध्यक्ष हो तो ऐसी दशा में चयन समिति के सभी सदस्य उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे। वह अपने स्थान पर किसी ऐसे अधिकारी को, जो अन्य सदस्यों से जयेष्ठ हो, चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में नाम निर्दिष्ट कर सकता है। ऐसा विभागाध्यक्ष केवल साक्षात्कार के लिए एक से अधिक चयन समिति गठित का सकता है।
टिप्पणी (2) यदि किसी नियुक्ति प्राधिकारी का क्षेत्राधिकार एक से अधिक जिले में हो तो उस दशा में भर्ती की प्रकिया उस जिले में की जाएगी जिसमें नियुक्ति प्राधिकारी का मुख्यालय स्थिति हो।	टिप्पणी (2) यदि किसी नियुक्ति प्राधिकारी का क्षेत्राधिकार एक से अधिक जिले में हो तो उस दशा में भर्ती की प्रकिया उस जिले में की जाएगी जिसमें नियुक्ति प्राधिकारी का मुख्यालय स्थिति हो। (2) शारीरिक रूप से विकलांग श्रेणी के व्यक्तियों के लिए आरक्षित पदों पर सीधी भती, चयन समिति के द्वारा की जाएगी जिसमें निम्नलिखित होंगे:- (एक) संबंधित विभाग, जिसके लिये भर्ती की जानी है, का विभागाध्यक्ष. ....अध्यक्ष (दो) अध्यक्ष द्वारा नाम, निर्दिष्ट अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों का कोई अधिकारी यदि अध्यक्ष अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों का न हो। यदि अध्यक्ष अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों का हो तो अध्यक्ष द्वारा अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गो से भिन्न कोई अधिकारी नाम निर्दिष्ट किया जाएगा।..सदस्य (तीन) अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट अन्य पिछड़े वर्गो का कोई अधिकारी, यदि अध्यक्ष अन्य पिछड़े वर्ग का न हो। यदि अध्यक्ष अन्य पिछड़े वर्गो का हो तो अध्यक्ष द्वारा अन्य पिछड़े वर्गो या अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों से भिन्न कोई अधिकारी नाम निर्दिष्ट किया जायेगा..... सदस्य। **(चार) संबंधित निःशक्तता का एक विशेषज्ञ जो सरकार में विकलांग कल्याण विभाग के यथा स्थिति, प्रमुख सचिव या सचिव द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाएगा.. सदस्य** **(पांच) संबंधित निःशक्तता का एक विशेषज्ञ चिकित्सक जो सरकार में विकलांग कल्याण विभाग के यथा स्थिति, प्रमुख सचिव या सचिव द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाएगा ....सदस्य**

आज्ञा से

कुँवर फतेह बहादुर

प्रमुख सचिव।